— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक- 02.07.2021

थाना जिगना पुलिस द्वारा चाकू से हमला करने वाले अभियुक्त को भेजा गया जेल, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद —

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 01.07.2021 को थाना जिगना पर पड़री थाना अन्तर्गत ग्राम दुल्लहपुर निवासी रामसनेही पुत्र मेवालाल बिन्द द्वारा लिखित तहरीर दी गई की दिनांक 30.06.2021 को रात्रि में वादी का छोटा भाई जितेन्द उम्र करीब 21 वर्ष अपने साथी बलिचन्द्र बिन्द पुत्र मेवालाल उम्र करीब 21 वर्ष व मनीष कुमार बिन्द पुत्र बुल्लर उम्र करीब 20 वर्ष के साथ मो0सा0 से थाना जिगना अन्तर्गत ग्राम बौड़ई में एक लड़की से मिलने के लिये गये थे, उसी रात्रि में बौड़ई पुल के पास वाहन खड़ी कर मनीष अपने साथी उपरोक्त के साथ शौच करने चले गए। मोटरसाइकिल के पास बलिचन्द्र अकेला था कि इस दौरान ग्राम दुबहा निवासी सुमित पाण्डेय पुत्र रामजी पाण्डेय आकर वाद-विवाद करने लगा तथा जान से मारने के नियत से चाकू से कई बार प्रहार बलिचन्द्र को घायल कर दिया। शोर गुल सुनकर शौच के लिए गए जितेन्द्र व मनीष बचाने आये तो उनके ऊपर भी चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। सूचना पर थाना जिगना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलो को इलाज हेतु जनपदीय चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां से चिकित्सको द्वारा बेहतर इलाज हेतु वाराणसी ट्रॉमा सेंटर हेतु रेफर किया गया था। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जिगना पर भादवि की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त सुमित पाण्डेय उपरोक्त को हिरासत में लिया गया था। जिसकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद कर, दिनांक 02.07.2021 को गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

कार्यालय
दिवसाधिकारी
JUST DO IT
2021.07.02 11:43